न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 431 /2026

सीमाराम पुत्र चेतनराम
बनाम
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी वगैरा

दिनांक 08 .06.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बापिणी (फलौदी) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132 व 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 105/2025 बअनवान सीमाराम बनाम तहसीलदार बापिणी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.04.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–प्रार्थी–सीमाराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बापिणी के ग्राम पीथासर स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1206/919 रकबा 0.1619 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता की मौके अनुसार तरमीम शुद्धि का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थी–सीमाराम ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट श्री रूघाराम चौधरी एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–प्रार्थी–सीमाराम ने प्रार्थना प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम पीथासर के ख0नं0 919 रकबा 21.9582 हैक्टर भूमि अपीलार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गै0मु0 रास्ते की गलत तरमीम कर दी गई है, जिसे मौके अनुसार दुरूस्त किया जावे। आलौच्य प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.03.26 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौके पर ख0नं0 917, 916

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

व 915 गै0मु0 ढाणियों के आवागमन के लिए रास्ता खुला पाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया, कि प्रार्थी ने रास्ता परिवर्तन किया है। जबकि प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि रास्ते की तरमीम गलत जगह कर दी गई है, वक्त तरमीम प्रार्थी–अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। इसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी को पूर्ण विधिक अधिकार है। बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस बिनाय पर खारिज कर दिया गया कि ''तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार जो तरमीम पूर्व में की गई है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार की नई तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में मौका फर्द दिनांक 24.03.2026 के अनुसार ग्राम पीथासर के ख0नं0 1206/919 रकबा 0.1619 हैक्टर गै0मु0 रास्ता का मौका मुआयना किया गया। जिसके परिशिष्ट 'ए' में दर्शाये गये नजरी नक्शें में दर्ज रास्ता उपखण्ड अधिकारी लोहावट के आदेश क्रमांकः प्र.गा.सं./2021/340 दिनांक 04.12.21 अनुसार पूर्व में चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना बताते हुए वर्तमान में प्रार्थी खातेदार ने रास्ता का मौका बदल कर परिशिष्ट 'बी' अनुसार करने का उल्लेख है। इसके अलावा यह भी उल्लेखित है कि पूर्व में ख0नं0 1205/919 रकबा 0.1619 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता था, वर्तमान में नये मौका रास्ता में 0.2428 है0 भूमि उपयोग में आ रही है। जिसमें ख0नं0 917 की 0.0128 है0 भूमि आ रही है तथा शेष भूमि 1205/919 की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट–प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया गया। अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से, तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिकारी बापिणी (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 105 / 2025 बअनवान सीमाराम बनाम तहसीलदार बापिणी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.04.2026 यथावत रखा जाता है। प्रार्थी को यदि रास्ते की आवश्यकता है, तो वह पृथक से विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज **दिनांक** 08/06/2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर